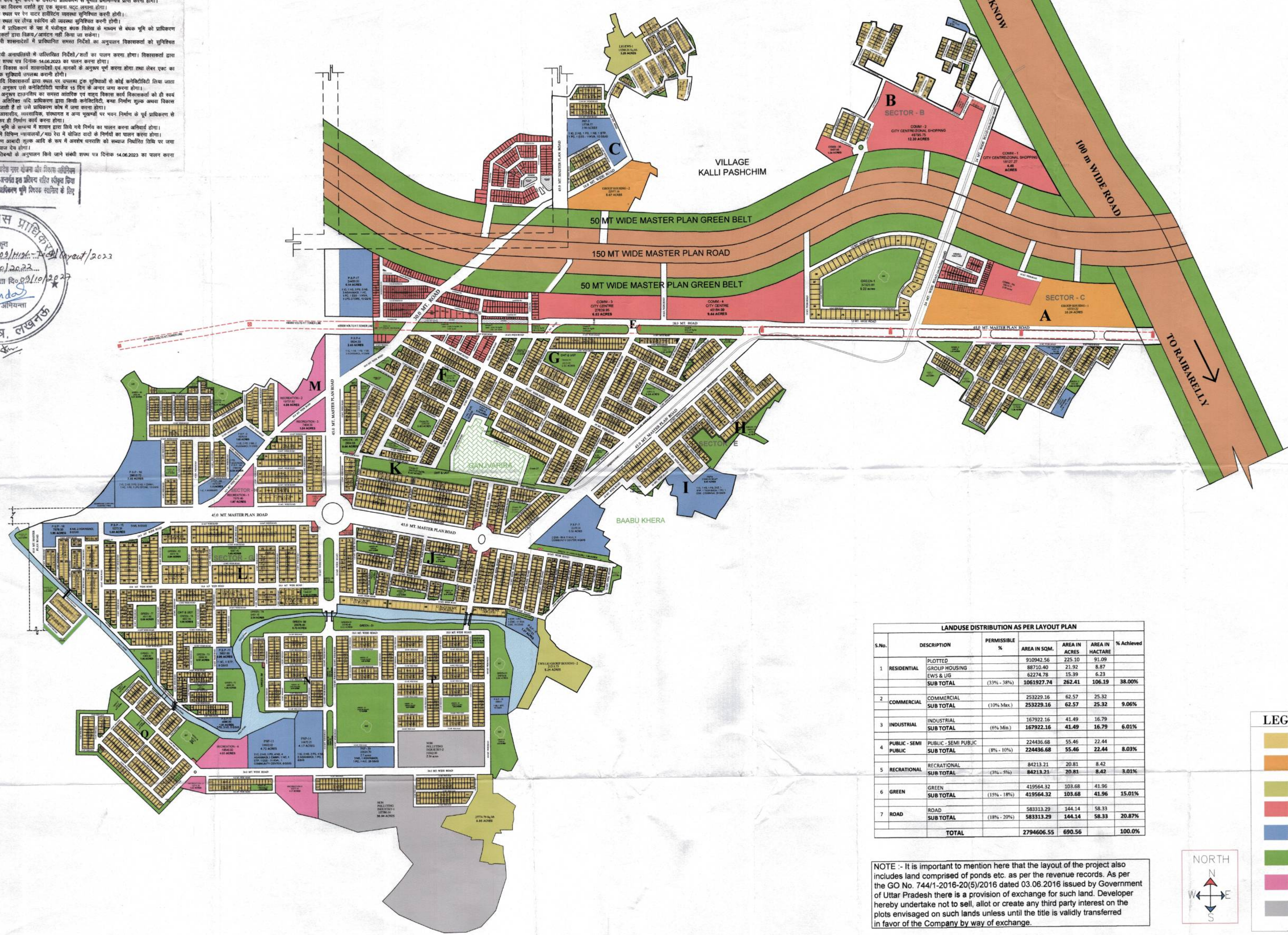
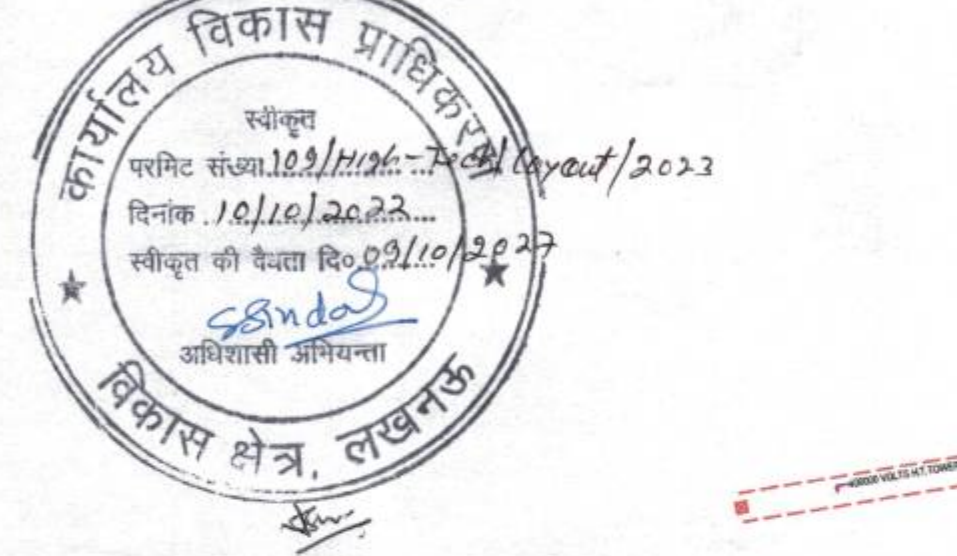


1. विकासकर्ता द्वारा जारी भूमि पर विकास कार्य का सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पास में निम्नानुसार एवं शर्तों के अधीन है।
2. उपर्युक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि विकास प्रक्रिया किसी अन्य व्यक्ति के नाम है उस पर विकासकर्ता उस क्षेत्र को विकास कार्य नहीं करेगा। जब तक कि इस भूमि का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के नाम में न हो।
3. उपर्युक्त क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि, कम्पली भूमि व सीमांत भूमि का विभिन्न सीमा क्षेत्र निर्धारित होने पर प्रत्येक भूमि के विकास (ह) उस भूमि पर विकासकर्ता विकास कार्य कर सकेगा।
4. विकासकर्ता एवं प्राधिकरण के साथ निर्धारित अनुबंध के अनुसार स्वतंत्र पर विकास कार्य सुनिश्चित करना होगा।
5. निर्माण समुदायिक सुविधाओं का-पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज एवं इलेक्ट्रिक लाइन स्टेशन आदि हों।
6. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में उपर्युक्त क्षेत्र को किसी भी विवाद की दृष्टिसे विकासकर्ता की होनी। प्राधिकरण द्वारा इसे विधेय नहीं होगा।
7. उपर्युक्त क्षेत्र के विकास विकास कार्य पूर्ण करने के उपरान्त प्राधिकरण के पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
8. विकास पर प्राधिकरण सौंपी जा विकास कार्य पूर्ण होने पर एक मूल्यांकन कर देना होगा।
9. विकास मानचित्र के अनुसार स्वतंत्र पर 100 फीट हाईवेस्टिंग प्रमाण सुनिश्चित करनी होगी।
10. विकास मानचित्र के अनुसार स्वतंत्र पर 100 फीट स्वेडिंग की आवश्यकता सुनिश्चित करनी होगी।
11. परमाण्विक मानचित्र के रूप में उपर्युक्त क्षेत्र के पास में उपर्युक्त क्षेत्र के विकास कार्य के सम्बन्ध में भूमि को प्राधिकरण की अनुमति के बिना विकासकर्ता द्वारा विकास/प्रमाण नहीं किया जा सकेगा।
12. हाईवेस्टिंग स्टेशन एवं जमीन सम्बन्धों में प्राधिकरण समस्त निर्देशों का अनुपालन विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।
13. निर्माण विकास द्वारा ही सभी आवश्यकताओं को पूर्णतः पूर्ण करने का प्रमाण देना होगा। विकासकर्ता द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विकास 14.06.2023 का प्रमाण देना होगा।
14. विकास मानचित्र के अनुसार विकास कार्य सम्पन्न होने पर विकास पूर्ण करना होगा तथा क्षेत्र पर विकास का अनुपालन करी हों आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करनी होगी।
15. उपर्युक्त क्षेत्र के विकास हों विकासकर्ता द्वारा विकास/प्रमाण नहीं किया जा सकेगा।
16. हाईवेस्टिंग स्टेशन एवं जमीन सम्बन्धों में प्राधिकरण समस्त निर्देशों का अनुपालन विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।
17. विकास मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने का प्रमाण देना होगा। विकासकर्ता द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विकास 14.06.2023 का प्रमाण देना होगा।
18. विकास मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने का प्रमाण देना होगा। विकासकर्ता द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विकास 14.06.2023 का प्रमाण देना होगा।
19. विकास मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने का प्रमाण देना होगा। विकासकर्ता द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विकास 14.06.2023 का प्रमाण देना होगा।
20. विकास मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने का प्रमाण देना होगा। विकासकर्ता द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विकास 14.06.2023 का प्रमाण देना होगा।
21. विकास मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण करने का प्रमाण देना होगा। विकासकर्ता द्वारा आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर विकास 14.06.2023 का प्रमाण देना होगा।

1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्रमाण पत्र को विकास प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी जाती है।

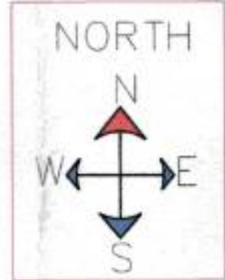


LANDUSE DISTRIBUTION AS PER LAYOUT PLAN						
S.No.	DESCRIPTION	PERMISSIBLE %	AREA IN SQM.	AREA IN ACRES	AREA IN HAECTARE	% Achieved
1	RESIDENTIAL					
	PLOTTED		910942.56	225.10	91.09	
	GROUP HOUSING		88710.40	21.92	8.87	
	EW & LG		62274.78	15.39	6.23	
	SUB TOTAL	(13% - 38%)	1061927.74	262.41	106.19	38.00%
2	COMMERCIAL		253229.16	62.57	25.32	
	SUB TOTAL	(10% Max.)	253229.16	62.57	25.32	9.06%
3	INDUSTRIAL		167922.16	41.49	16.79	
	SUB TOTAL	(6% Min.)	167922.16	41.49	16.79	6.01%
4	PUBLIC - SEMI PUBLIC		224436.68	55.46	22.44	
	SUB TOTAL	(8% - 10%)	224436.68	55.46	22.44	8.03%
5	RECREATIONAL		84213.21	20.81	8.42	
	SUB TOTAL	(3% - 5%)	84213.21	20.81	8.42	3.01%
6	GREEN		419564.32	103.68	41.96	
	SUB TOTAL	(15% - 18%)	419564.32	103.68	41.96	15.01%
7	ROAD		583313.29	144.14	58.33	
	SUB TOTAL	(18% - 20%)	583313.29	144.14	58.33	20.87%
	TOTAL		2794606.55	690.56	279.46	100.0%

LEGEND

- RESIDENTIAL PLOTTED
- GROUP HOUSING
- E.W./S.L.G
- COMMERCIAL
- PUBLIC/SEMI PUBLIC /FACILITY
- GREEN
- RECREATIONAL
- INDUSTRIAL

NOTE :- It is important to mention here that the layout of the project also includes land comprised of ponds etc. as per the revenue records. As per the GO No. 744/1-2016-20(5)/2016 dated 03.06.2016 issued by Government of Uttar Pradesh there is a provision of exchange for such land. Developer hereby undertake not to sell, allot or create any third party interest on the plots envisaged on such lands unless until the title is validly transferred in favor of the Company by way of exchange.



PROPOSED REVISED LAYOUT PLAN OF DPR - OMAXE HI-TECH CITY AT LUCKNOW

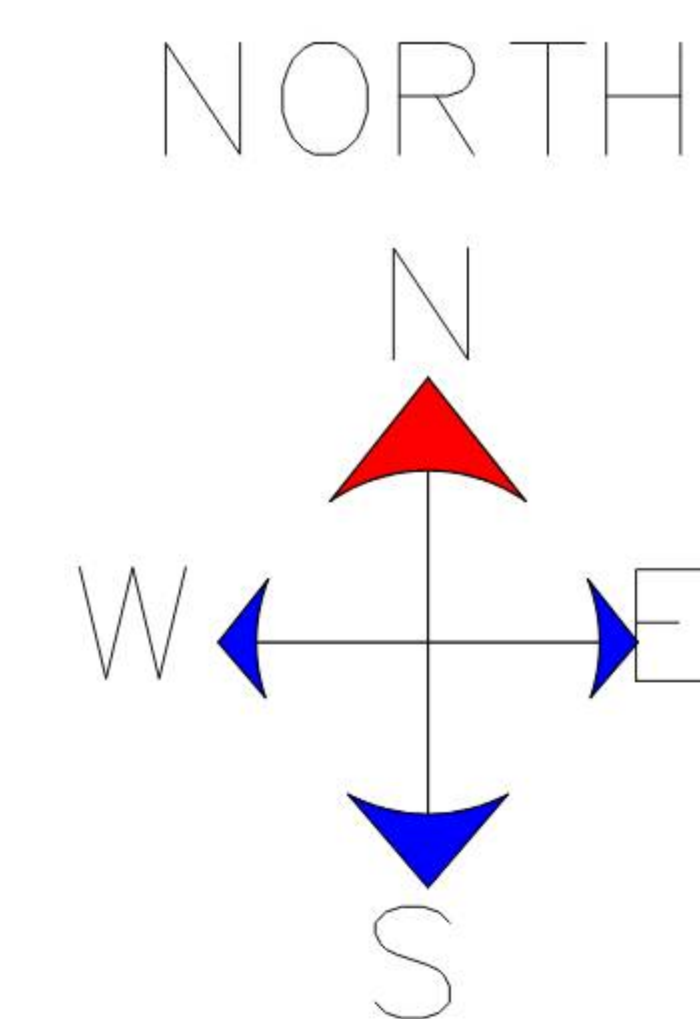
CLIENT:-
M/s OMAXE GARV BUILDTECH Pvt.Ltd.
LSC-10, KALKAJI , NEW DELHI-110019.

CONSULTANTS-
OMAXE LTD.
LSC-12, KALKAJI, NEW DELHI-110019

OWNER'S SIGN

ARCHITECT'S SIGN
AR JAI SINGH VERMA
CA/2010/50948

SCALE:-
1:4000
SHEET NO.
OMX/HI-TECH-MR1



COMMERCIAL - 3, BLOCK - 4, METRO CITY, LUCKNOW